

**कार्यालय आयकर आयुक्त-1,**  
**“आयकर भवन” एनेक्सी, व्हाइट चर्च के सामने, इन्दौर.**

क्र. आआ-1/ई/तक/12-अ/2004-05/13

दिनांक : 07-01-2005

प्रति,

पहल जानकी जन सहयोग विकास संस्थान,  
68, जानकी नगर मेन, इन्दौर

महोदय,

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12A(a) के अधीन दिनांक 09-07-2004 को निर्धारित प्रारूप में पंजीयन के लिए आवेदन किया है। दरतावेज के अनुसार न्यास की स्थापना दिनांक 26-04-2003 से हुई थी। आयकर नियम 17A के अनुसार निर्घाति के द्वारा आवेदन-पत्र न्यास की स्थापना के एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना था, जब कि आवेदन-पत्र दिनांक 09-07-2004 को प्रस्तुत किया गया था, इस संबंध में न्यास को इस कार्यालय का पत्र दिनांक 25/11/2004 के द्वारा आवेदन - पत्र देरी से प्रस्तुत करने के लिये स्पष्टीकरण देने को कहा गया था जिसका अनुपालन न्यास द्वारा आज दिनांक तक नहीं किया गया इससे स्पष्ट है कि न्यास के पास आवेदन -पत्र देरी से प्रस्तुत करने के लिये कोई स्पष्टीकरण नहीं है इसलिये न्यास/संस्था का दिनांक 01-04-2004 से पंजीयन किया जाता है।

2. इस आवेदन को इस कार्यालय में धारा 12A(a) के तहत रखे गये रजिस्टर में क्रमांक 23/04-05 पर नोट किया गया है।

3. यह पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के उपरान्त यदि यह पाया गया कि ट्रस्ट की गतिविधियां ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है या नियमानुसार नहीं है तब उन परिस्थितियों में आयकर की धारा 12AA(3) के तहत ट्रस्ट का पंजीकरण रद्द कर दिया जावेगा।

4. यह प्रमाण-पत्र बिना किसी पूर्वाग्रह के दिया गया है तथा विवरणी प्रस्तुत हो जाने के बाद छूट देने के दावे का निर्धारण अधिकारी द्वारा गुणों के आधार पर निबटान किया जा सकेगा।

(श्रीराम सिंह)

आयकर आयुक्त-1, इन्दौर.

प्रतिलिपि :-

1. आवेदक उपरोक्तानुसार।
2. श्रीमान मुख्य आयकर आयुक्त, इन्दौर.
3. आयकर अपर आयुक्त, परिक्षेत्र-1, इन्दौर।
4. आयकर उपायुक्त -1(1), इन्दौर।

(नछत्तर सिंघ)

आयकर अधिकारी(तकनीकी)  
कृते आयकर आयुक्त-1, इन्दौर.



(Pokhale)  
सचिव,  
पहल जनसहयोग विकास संस्थान